.17 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी लूणाराम पुत्र कानाराम निवासी जाटों का बास, नान्दड़ा कला वाया सारण नगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.07.2017 में उसके द्वारा (1) दिनांक 01.06.17 को ग्राम पंचायत नांदड़ा कला में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? दर्ज प्रकरणों व संबंधित व्यक्तियों के नामों की प्रमाणित सूची की लिखित प्रतिलिपि (2) शिविर से पूर्व " न्यायालयों में चल रहे मुकदमों " के संबंध में नान्दड़ा कला गावं निवासी कितने व्यक्तियों के नोटिस तामील करवाये ? संबंधित व्यक्तियों के नामों की लिखित सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि (3) नांदड़ा कलां में आयोजित " न्याय आपके द्वार " शिविर में शिविर दिनांक 01.06.2017 को वादीगण कानाराम, परसाराम वगैरा की तरफ से प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 373/2011 निर्णय व डिक्री पालना प्रकरण का निस्तारण शिविर के दौरान नहीं किया गया , इसको रोकने के क्या कारण थे, इस संबंध में लिखित सूचना की प्रति (4) बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित प्रकरण के निस्तारण हेतु अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित लिखित सूचना की प्रति (5) नांदड़ा कला ग्राम पंचायत में दिनांक 01.06.17 को आयोजित " न्याय आपके द्वार " शिविर में प्रार्थी कानाराम, परसाराम वगैरा की ओर से राजस्व ग्रावं सिरियादे गावं की खसरा नं. 81 की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता खुलवाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र जो कि सक्षम अधिकारी एस.डी.एम. जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया के निस्तारण हेतु अब तक की गई कार्यवाही की लिखित सूचना व (6) बिन्दु संख्या 05 में उल्लेखित रास्ता प्रकरण का निस्तारण उसी दिन शिविर में क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में कारण की सूचना की प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को स्थानान्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी मनमर्जी द्वारा यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि सूचना इतनी विस्तृत है कि सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के संसाधन अनुपाती रूप से विचलित होती है जबकि मांगी गई सूचना से कार्यालय को कोई संसधान विचलित नहीं होता है। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1124 दिनांक 0911.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी को जरिये पत्रांक 908 दिनांक 03.08.17 सूचित किया गया कि मांगी गई सूचना अत्यन्त विस्तृत है सूचना का अधिकार के धारा 7 अनुभाग 9 के अनुसार लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अनुपातिक रूप से विचलित करती है एवं इस आधार पर देना संभव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं. 5 में चाही गई सूचना विस्तृत नहीं है परन्तु अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना या तो विस्तृत सूचना है या प्रश्नात्मक है या न्यायालय प्रक्रियाधीन होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया, उससे हम सहमत है अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या–5 से संबंधित सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाय

लगातार....

	अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।